

17.11.22

पत्रावली पेश उही वकालत उपर। शर्मा पत्र
से संबंधित गलत कमील का निस्तारण
हो चुका है। मूल शर्मा पत्र वास्तव स्थिति
में कोई कार्यवाही रिफा जाना अपेक्षित
नहीं है। अतः कमील शर्मा का शर्मा
पत्र स्थिति का खारीज रिफा जाता है।
पत्रावली फेबल शुमार होकर नम्बर से
कम होकर दायिल कम्बर हो।

(अनिल कुमार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट
नीमकाथाना (सीकर)

